

23.7.24

प्रेषक,

मो.असलम सिद्दीकी
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0-01 उन्नाव।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
उन्नाव।

विषय:-

शासनादेश सं0-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024,
दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पेशन हेतु विकल्प चयन करने का
प्रार्थना पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक-26.05.2006 के नियुक्ति आदेश से हुई थी। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नॉटिफिकेशन नं0-987 / DR(S) / 2006, दिनांकित-13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक-15.06.2006 को जनपद बस्ती में अपर सिविल जज जू.डि.के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0-ए-2 / ई-1 / 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांक-28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अछादित होने का पात्र है।

शासनादेश सं0-20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांक-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

दि0-22.07.2024

Mohd Aslam
22/7/24
(मो.असलम सिद्दीकी)

अपर जिला जज, कोर्ट सं0-01 उन्नाव।
आई0डी0 नं0- UP6209

संलग्नक :-

- 1- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत नॉटिफिकेशन।
- 2- पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र

Letter No- 2427/I-157-23 Dated: 23.7.24

Forwarded

District Judge
Unnao
23.7.24

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांक 28 जून 2024, तथा शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024, दिनांक-11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र-

1. नाम - MOHD.ASLAM SIDDIQUI
 2. वर्तमान पदनाम - ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (UNNAO)
 3. वेतनमान 01,78,150 (As on 01-06-2024)
 4. वर्तमान विभाग का नाम - JUSTICE
 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - JUSTICE
 6. विज्ञप्ति की तिथि - A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November 2003
 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26-05-2006
 8. योगदान की तिथि - 15-06-2006
 9. जन्म तिथि - 07-01-1975
 10. सेवा निवृत्ति की तिथि - 31-01-2035
- मैं MOHD.ASLAM SIDDIQUI पुत्र SRI MOHD LAIQUE SIDDIQUI शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांक-28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-.....Mohd Aslam
नाम- MOHD.ASLAM SIDDIQUI
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (UNNAO)
जे0ओ0 कोड- UP 6209

घोषणा पत्र

मैं MOHD.ASLAM SIDDIQUI पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (UNNAO) यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-.....Mohd Aslam
नाम- MOHD.ASLAM SIDDIQUI
पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (UNNAO)
जे0ओ0 कोड- UP 6209

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री MOHD.ASLAM SIDDIQUI पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE (UNNAO) को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

संस्तुति सहित अग्रहणित

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति


District Judge
Unnao
23.7.2024

No. 985 /DR(S)/2006



Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06 32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Vijay Kumar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mau.

No. 986 /DR(S)/2006

 Sri **Ajai Kumar Shahi**, Additional Civil Judge, Junior Division, Basti is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Basti in the vacant court.

No. 987 /DR(S)/2006



Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06 32(1)/2001 T.C.-1 dated 26.5.2006 Sri **Mohd. Aslam Siddiqui**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division Basti.

No. 988 /DR(S)/2006